

54/18

पत्रावली करा हुआ। अन्य प्रती  
अन्य राजकीय/व्यवसाय प्रती  
रूप अभियान 2018 में कार्य है।  
पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 4/5/18  
की पेश हो बत

04.5.18

पत्रावली करा हुआ। अन्य प्रती  
अन्य राजकीय/व्यवसाय प्रती  
रूप अभियान 2018 में कार्य है।  
पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 4/5/18  
की पेश हो बत

15.5.18 पत्रावली राजस्व लोक न्यायालय 2018 मा.

पं. शहोली में पेश हुई। वकील 18/2 व 4  
उपस्थित। लॉड पत्र का कव्लोकन किया गया।  
वादनित भूमि ख-नं. 17 59 रकबा 07-09  
बीछा वार्ड ग्राम शहोली में है कुल भूमि  
का 1/3 वकील लं.। एवं वकील लं-2 माप  
के पिता नाथू ने जरीद रजिस्टर्ड विक्रम  
पत्र खरीदी थी। बिक्रम नागरी व क्व  
की मृत्यु के कारण संपूर्ण भूमि में के नागरी  
के हिल्ले 1/2 बेचान शुदा का नागरीकरण लसी  
लेला जमा है। अतः रजिस्टर्ड विक्रम पत्र  
अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वकील का नाम  
अमल किया जावे। उपस्थित वकील ने  
अनुपत्र पेश किया है कि रजिस्टर्ड विक्रम  
पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया  
जावे।

रजिस्टर्ड विक्रम पत्र का कव्लोकन  
मनन किया गया। मुलाविके रजिस्टर्ड विक्रम-  
पत्र वादनित भूमि ख-नं. 17 59 रकबा 07-09  
बीछा में के नागरी ने अफत हिल्ले 1/2 की

सुप्रीम  
राज्यपाल  
साजी

17  
1-6-18  
28-5-18  
दि.

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर  
अहकाम  
हुक्म व  
में पत्र  
म

लंपूर्ण क्षतिमैतूवारी लं. 1 को हिस्सा 113, घाटी  
लं. 2 का पत्र नित्य नाथू को हिस्सा 113,  
प्रतिमैदी लं. पत्रा 8 के पत्र। घाटी को हिस्सा  
113 का मंचान छिदा था। जिलाका हाज  
दिनां 5 तब राजाव रिपोर्ट में कमल नहीं  
हुआ है।

अतः वादीगण का वाद लोक कदम  
की श्रवण से आधारित में स्वीकार किया  
जाता है। वादकृत भूमि कु. नं. 17592 का  
07-08 बीघा वाद घाम राहली में जानगी  
वेदा भूमि 112 भूमि का वादी लं. 1 को  
113 हिस्से, वादी लं. 2 का पत्र को 113 हिस्से  
तथा प्रतिमैदी लं. पत्रा 8 को 113 हिस्से का  
आवेदार् कोषित किया जाता है। तहसीलदार  
निकोई इम्तानुमार राजाव रिपोर्ट में  
कमल परामद करें। पत्रा डिकी जारी की  
पत्रावली फौजलशुमार होकर नम्बर में कम  
है तथा दफ्तर दाखिल है।

15/5/11  
के.के. को. राहली  
उपस्थित अधिकारी  
जिला. सि. राहली

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर मु., निवाई**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी निवाई

दावा बाबत... मुका 3.5 बीघा व दुकानी इन्फ्रान्ज **उनवान** मुका **बनाम** चाँची काँच  
मुकदमा नम्बर :- 49/14  
निर्णय दिनांक :- 15.5.18

वादी की ओर से... मुका शम्भूराव इमोनी की व प्रतिवादी की ओर से...  
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख... 15.5.18 को हरिनाथ इमोनी नाम पीठासीन अधिकारी द.स.

के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादी शम्भूराव का वाद लोक अदालत की शर्तों के स्वीकार किया जाता है। वादकर्मित  
भूमि ख.नं. 1759 शकवा 07-09 बीवा काँच ग्राम रावेली में जन्गी बेटा श्यामसि. 112  
भूमि का वादी ख.नं. 1 काँच 113 हिसत, वारी ज. 2 काँच 113 हिसत तथा  
प्रतिवादी ख.नं. 4 काँच 113 हिसत का खतरेकर घोषित किया जाता है। तदपीलदार  
निवाई उपखण्डदार राजश्व रिकॉर्ड में डकल करामद करे।

खर्चा पक्षकारान्त अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख... 15.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

31/5/18  
पीठासीन अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई  
द.स. काँच 21/5/18

**वाद के खर्चे**

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदेशों के लिए स्टाम्प		प्लीड की फीस	
4. ....रूपये प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़े		जोड़े	

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई